15/-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

सुन्दर लाल तनय गनेश प्रसाद रैकवार
निवासी ताल दरवाजा टीकमगढ़ (म0प्र0) ....आवेदक

R 2313-II/06

//विरूद्ध//.

1. म0प्र0 शासन
2. बद्रीप्रसाद तनय नाथूराम देवलिया
   निवासी ताल दरवाजा टीकमगढ़
   जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) ....अनावेदकगण।

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 13 अ/68 वर्ष 2003--2004 में पारित आदेश दिनॉक 25-09-2006 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि, प्रकरण में इस प्रकार है, कि अनावेदक कमांक 2 के शिकायती आवेदन पत्र पर अनावेदक कमांक द्वारा म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 248 के अंतर्गत् प्रकरण तैयार किया गया और आवेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि पर वेजा कब्जा के आधार पर 500 रू0 का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये कब्जा हटाने का आदेश दिया जिसके संबंध में आवेदक का निवेदन रहा है कि, आवेदक द्वारा कोई वेजा कब्जा नहीं रहा है। आवेदक द्वारा पूर्व का नक्शा दिनॉक 20.04.41 के तहत बने हुये भाग पर पुराने स्थल को नया निर्मित कराया है जो अतिकमण की श्रेणी में नहीं आता है। प्रस्तावित कार्यवाही शासन द्वारा न की जाकर अनावेदक कमांक 2 के द्वारा की गयी है, जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। किंतु उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र इस आधार पर कि प्रस्तुत नक्शा की छायाप्रति स्पष्ट नहीं है, अपील निरस्त कर दी, जिसके विरूद्ध आवेदक ने विधिवत् अपील अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के

P-2313 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
2.8.16.	आवेदक को तीन बार पुकार लगाई गयी परन्तु कोई हाजिर नहीं और न ही उनकी ओर से कोई [illegible] आया [illegible] न्यायालय [illegible] आया। प्रकरण आवेदक की [illegible] अनुपस्थिति के कारण [illegible] खारिज किया जाता है। अभिलेख वापिस [illegible] किया जावे। [signature]	[signature] 2-8-16